

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, कोटा

क्रमांक :- अ.अ./जसख /तक/2023-24/1386-87

दिनांक :- 14/8/23

श्रीमान् सचिव,
कृषि उपज मण्डी (अनाज),
विशिष्ट श्रेणी, कोटा

विषय :- LAND FOR EXTENSION OF BHAMASHAH KRISHI MANDI SAMITI
RAJASTHAN (PROPOSAL NO. FD/RJ/OTHERS/20036/2016)

प्रसंग :- आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 882 दिनांक 13.07.2023 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि एफ.सी. डिवीजन न्यू देहली द्वारा नाले के प्रोटेक्शन के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा मण्डी समिति को प्रत्यावर्तन के लिये जल संसाधन विभाग की चाही गई अनुशंसा के अनुसार जल संसाधन विभाग द्वारा N.O.C. इस शर्त के आधार पर जारी की जाती है कि अभी वर्तमान में नाले का जो X-Sectional Area है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करके नाले के X-Sectional Area को Protect करने हेतु नाले की पूरी लम्बाई में नाले के दोनों तरफ Protection wall का निर्माण किया जावे, ताकि नाले में पानी के Flow में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

श्रीमान् को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड कोटा
दिनांक :-

क्रमांक :- अ.अ./जसख /तक/2023-24/

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, जल संसाधन बाढ़ सुरक्षा उपखण्ड, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 51 -
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड कोटा